सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

**पत्र संख्याः-369/प्रेसनोट/2020** **दिनांकः- 14 सितम्बर 2020**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**थाना-जीयनपुर**

**अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार**

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा अपराध नियंत्रण एव वाछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी तथा अवैध शस्त्र/अवैध शराब के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी सगडी के निर्देशन में दिनांक 13.09.2020 को उ0नि0 श्री उमेश कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त अखिलेश मुसहर पुत्र स्व0 घंमड़ी मुसहर निवासी बासगांव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को समय 6.15 बजे ग्राम नदौरा मोड़ नहर पुलिया के पास से एक अदद कट्टा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 250/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त**

1- अखिलेश मुसहर पुत्र स्व0 घंमड़ी मुसहर निवासी बासगांव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

**पंजीकृत अभियोग**

1- मु0अ0सं0 286/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

**बरामदगी**

1- एक अदद कट्टा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

1- उ0नि0 उमेश कुमार थाना जीयनपुर मय हमराह जनपद आजमगढ़ ।

**थाना-निजामाबाद**

**16 शीशी कच्ची नाजायज शराब के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 13.09.2020 को उ0नि0 रत्नेश कुमार दूबे द्वारा बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0- 166/20 धारा 60 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है।

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़** द्वारा अवैध व कच्ची शराब की तस्करी करने वालो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान के क्रमं मे दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद अनवर अली खांन के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 श्री रत्नेश कुमार दूबे मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि बड़ागाव पुलिया वहद ग्राम बड़ागाव पर एक व्यक्ति कच्ची शराब बेचने के लिये जा रहा है कि मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 मय हमराहीयान द्वारा मौके पर पहुच कर बड़ागाव पुलिया पहुच कर चेकिंग किया जा रहा था कि बडहरिया के तरफ से आ रहे संदिग्ध व्यक्ति को रोककर कर पूछताछ किया गया तो अपना नाम सकलदीप विश्वकर्मा पुत्र स्व0 श्रीराम विश्वकर्मा निवासी मुकुन्दपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ बताया तथा जामा तलाशी से अभियुक्त उपरोक्त के पास से एक झोले में 16 शीशी नाजायज शराब कच्ची बरामद किया गया। जिसको समय करीब 20.15 बजे गिरफ्तार किया गया।

**पूछताछ विवरण-** गिरफ्तार अभियुक्त से 16 शीशी नाजायज शराब कच्ची शराब नाजायज शराब होने के सम्बन्ध मे अपना जुर्म कबूल कर रहा है।

**पंजीकृत अभियोग –**

1- मु0अ0सं0- 166/20 धारा 60Ex Act थाना निजामाबाद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त -**

1- सकलदीप विश्वकर्मा पुत्र स्व0 श्रीराम विश्वकर्मा निवासी मुकुन्दपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

**बरामदगी -**

1- 16 शीशी नाजायज शराब कच्ची शराब

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

1- उ0नि0 श्री रत्नेश कुमार दूबे मय हमराह थाना-निजामाबाद, आजमगढ़।